राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.10(02)राज/वाद/94, पार्ट–6 जयपुर,दिनांक 18/12/2024

::परिपत्र::

इस विभाग के यह संज्ञान में आया है कि इस विभाग एवं इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारीगण अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर, विलम्ब से इस विभाग को प्रेषित करते है। अतः इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. इस विभाग एवं इस विभाग के अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी अपना वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक पूर्ति कर प्रतिवेदक अधिकारी (राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक) को प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रतिवेदक अधिकारी (राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण) उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन अपनी टिप्पणी/पूर्ति उपरान्त प्रतिवर्ष 31 मई तक समीक्षक अधिकारी (विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग) को प्रेषित करेंगे।
3. दिनांक 30 अप्रैल तक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रतिवेदक अधिकारी (राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी/पूर्ति कर प्रतिवर्ष 31 मई तक समीक्षक अधिकारी (विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग) को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना करना सुनिश्चित की जावे।

ह०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण)विभाग।।
2. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

18/12/2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव,विधि

Prithvi singh/acr a4 letter